समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री बासुदेव यादव ''बिमल'', पिता- स्व0 बाबूजी यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-18, थाना+जिला- मधेपुरा को एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 06/1999(मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर एक नाली बन्दूक संख्या- ए 5337 मेड इन यू0एस0ए0 धारित है। इनके पुत्र श्री राजा भारतेन्दु ''बिमल'', पिता- स्व0 बासुदेव यादव ''बिमल'', सा0-विद्यापुरी मोहल्ला वार्ड नं0-18, थाना+जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- बासुदेव यादव ''बिमल'' की मृत्यु दिनांक 19-03-2014 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री राजा भारतेन्दु ''बिमल'' द्वारा समर्पित मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पिता स्व0 बासुदेव यादव ''बिमल'' को प्राप्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 06/1999(मधेपुरा थाना) पर धारित एक नाली बन्दूक संख्या ए 5337 मेड इन यू0एस0ए0 को मे0बिहार गन हाउस, मधेपुरा में शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (6) के तहत् श्री बासुदेव यादव ''बिमल'', पिता- स्व0 बाबूजी यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-18, थाना+जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 06/1999(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एक नाली बन्दूक संख्या- ए 5337 मेड इन यू0एस0ए0 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

श्री राजा भारतेन्दु ''बिमल'' को आदेश दिया जाता है कि वे तत्क्षण शस्त्र से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र जमा रसीद की छायाप्रति जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे नियमानुसार रद्द कर अनुज्ञप्ति पंजी में इसकी प्रवृष्टि की जा सके।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री राजा भारतेन्दु ''बिमल'' द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 212 /वि0, मधेपुरा, दिनांक 10-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि थाना स्तर पर संधारित शस्त्र पंजी में उक्त अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को रद्द अंकित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री राजा भारतेन्दु ''बिमल'', पिता- स्व0 बासुदेव यादव ''बिमल'', सा0-विद्यापुरी मोहल्ला वार्ड नं0-18, थाना+जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

10/4/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा